REGIONAL OFFICE, M.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
17, Bharatpuri, Ujjain, Telephone Office 0734-2510984
E-Mail *romppcb_ujjain@yahoo.co.in*

No. 581 /R.O /MPPCB/Steno/2019 Ujjain, date 13/06/2019

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi

Sub: - Joint Inspection report of NGT Original Application No. 790/2018 Resident of Banjali Niwasi V/s State of M.P. Reg.

Ref: - Hon'ble National Green Tribunal direction dated 14/03/2019

--00—

Resp. Sir,

The under signed has been appointed as OIC by Madhya Pradesh Pollution Control Board by order no. 32 dated 10.01.2019 in NGT case No. 790/2018, respectfully submits as under :-

1. That, on the last date of hearing i.e., 14/03/2019, the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to give the following directions :-

"The report from Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is that illegal mining at Ratlam has now stopped but there is no report that the restoration steps have been taken, as required.

Let the Mining Department take steps for rehabilitation and restitution of the area within 3 months and furnish an action taken report before the next date by email at ngt.filing@gmail.com.

The MPPCB will coordinate the action with the Mining Department and will be responsible to furnish the report as above.

2. That, in pursuance of the orders of the Hon'ble Tribunal dated 14/03/2019, Collector Ratlam/Mining Department Ratlam has directed units for rehabilitation and restitution of the area and after action taken by Mining Department Ratlam now joint inspection of area has been carried out by the officials of Mining Department Ratlam and Regional office Madhya Pradesh Pollution Control Board Ujjain on 06/06/2019. The officers who conducted the inspection have been mentioned in the Report, which has been annexed here in with this reply.

(P. K. TRIVEDI)
Officer in Charge &
Regional Officer.

Enclosed as above

Endt. No. R.O /MPPCB/Steno/2019 Ujjain, date ----/---/2019

Copy to:-

(1) Shri Rajul Kumar Shrivastava Advocate, 6 Veerval Road, Jungpura Extation New Delhi for information with your discussion on dated 12/06/2019 for necessary action please.

(2) Legal Officer, M.P. Pollution Control Board, Bhopal for information in reference to HO letter no. 529 dated 09/04/2019

-: संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन :-

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई–दिल्ली के प्रकरण कमांक 790/2018 (निवासी ग्राम बंजली विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14.03.2019 के अनुपालन में ।

--00--

विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई–दिल्ली के प्रकरण कमांक 790/2018 (रसीडेन्ट ऑफ बंजली निवास विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में दिनांक 14.03.2019 को आदेश पारित किया है कि "The report from Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is that illegal mining at Ratlam has now stopped but there is no report that the restoration steps have been taken, as required.

Let the Mining Department take steps for rehabilitation and retitution of the area within 3 months and furnish an action taken report before the next date by email at ngt.filing@gmail.com.

The MPPCB will coordinate the action with the Mining Department and will be responsible to furnish the report as above.

उक्त आदेश के परिपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र कमांक–83 दिनांक 18.04.2019 को खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर रतलाम को आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्यवाही हेतु लिखा गया था , जिसकी प्रति संलग्नक–1 है । रतलाम – सैलाना रोड पर स्थित बंजली क्षेत्र रतलाम शहर से लगभग 8 कि.मी. की दूरी पर दूर स्थित है वर्तमान में क्षेत्र की आबादी बढ़ते हुए उक्त में नवीन कॉलोनी व मेडीकल कॉलेज का निर्माण विगत् वर्ष में किया है । पूर्व में ग्राम बंजली में कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के द्वारा इस क्षेत्र में स्टोन कशर स्थापित करने हेतु अनुमति जारी की गई थी जिसके तहत उक्त क्षेत्र में विगत् कई वर्षों से स्टोन केशर का संचालन किया जाता रहा तथा उक्त क्षेत्र के पास रहवासी कॉलोनियां आदि नहीं थी अब खनिज विभाग से उक्त दिवस संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि अब किसी भी स्टोन क्रेशर स्थापित की अनुमति का नवीनीकरण विगत् करीब चार वर्षों से अधिक समय से नहीं किया जा रहा है एवं माईनिंग विभाग व्दारा बंजली क्षेत्र में अवैध उत्खनन संबंधित प्रकरण की जानकारी निरंक होना बताया। खनिज विभाग रतलाम के कमांक–1967 दिनांक 21/01/2019 **संलग्नक–2 है।** कलेक्टर जिला रतलाम के निर्देशों के परिपालन में पूर्व माईन संचालकों से क्रेशर स्थापना तथा हापर निर्माण में उपयोग किये गये खनिज के गड्ढों का समतलीकरण

कर भरने rehabilitation and retitution के निर्देश दिये गये। तत्परिपेक्ष्य में खदान संचालकों से प्राप्त कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन **संलग्नक–3** अनुसार है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 06.06.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के डॉ. एस. के. श्रृंगी मुख्य रसायनज्ञ तथा श्रीमति भावना सेंगर, खनिज निरीक्षक, खनिज विभाग, रतलाम व्दारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान पूर्व में कार्यरत् स्थापित क्रशर्स की स्थापना एवं हापर के निर्माण के कारण हुए गढढ़ों के भरने rehabilitation and retitution तथा रिहेवीलेशन किया जाना पाया गया है, निरीक्षण स्थल के फोटोग्राफ्स **संलग्नक–4** है वर्तमान में उक्त स्थल पर माईनिंग विभाग व्दारा पूर्व प्रदत्त क्रेशर स्थापना की सभी अनुमतियां निरस्त की गई है तथा वर्तमान में किसी को भी क्रशर स्थापना हेतु अनुमतियां नहीं दी जा रही है। अद्यतन पंचनामा बनाकर ग्राम बंजली में क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता (एंबियेंट ऍयर मॉनिटरिंग) का मापन किया गया था, रिपोर्ट प्रति संलग्नक–5 है । मॉनिटरिंग परिणामों की विवेचना से स्पष्ट है कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप है तथा आसपास स्थित आवासीय क्षेत्रों में विपरित प्रभाव जैसी स्थिति निरीक्षण के दौरान भी नहीं पाई गई ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

Bhawna 06/6/19
(खनिज निरीक्षक)
रतलाम

6.19
(डॉ. एस.के. श्रृंगी)
मुख्य रसायनज्ञ

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17, भरतपुरी, उज्जैन दूरभाष कार्यालय–0734–2510984
ई–मेल romppcb_ujjain@yahoo.co.in

क्रमांक– 83 /प्रनिबो/क्षेकाउ/2019 उज्जैन,दिनांक 18/04/2019
प्रति,

खनिज अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर
खनिज शाखा
रतलाम जिला–रतलाम

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) प्रिंसीपल बेंच नई–दिल्ली के प्रकरण क्रमांक–790/2018 (निवास, ग्राम बंजली विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14.03.2019 के अनुपालन बावत् ।

संदर्भ :– बोर्ड मुख्यालय,भोपाल का पत्र क्रमांक–529 दिनांक 09.04.2019 व आपसे हुई चर्चा दिनांक 16.04.2019

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक–1967 दिनांक 21.01.2019 की छाया–प्रति सुलभ अवलोकन हेतु संलग्नक–1 अनुसार संलग्न है । तदनुसार रतलाम शहर के पास ग्राम बंजली में अवैध उत्खनन की जानकारी के परिपेक्ष्य में अवैध उत्खनन संबंधी प्रकरणों की जानकारी निरंक बताई गई थी । तत्परिपेक्ष्य में इस कार्यालय व्दारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) प्रिंसीपल बेंच नई–दिल्ली के प्रकरण क्रमांक–790/2018 (निवास, ग्राम बंजली विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में प्रतिवादी होने से बोर्ड व्दारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था । माननीय अधिकरण व्दारा दिनांक 14.03.2019 को पारित आदेश की छाया–प्रति सुलभ अवलोकन हेतु संलग्नक–2 अनुसार संलग्न है, जो कि स्वमेव स्पष्ट है, जिसके अवलोकन में आप पायेगें कि उक्त क्षेत्र में अवैध उत्खनन नहीं किया जाना बताया गया, किन्तु प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व में स्थापित स्टोन माईन्स यथा मेसर्स बाबा स्टोन क्रशर, मेसर्स राजू स्टोन क्रशर, मेसर्स सुभाषचन्द्र स्टोन क्रशर, मेसर्स पंकज पुरोहित स्टोन क्रशर आदि के स्टोन माईनिंग पिट उत्खनन के पश्चात् माईनिंग प्लॉन/स्वीकृत माईनिंग लीज के प्रावधान अनुसार उक्त माईनिंग पिट का भराव नहीं कर समतलीकरण व बायलॉजीकल रिक्लेमेशन नहीं होना इस कार्यालय के निरीक्षण में भी पाया है जिससे विशेष रूप से जल भराव आदि की दुर्घटना निकट रहवासी कॉलोनी अब विकसित होने के कारण किसी दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है,क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रदेश में हो चुकी है उक्त प्रकरण में रिहेबीटेशन व रिसिचवेशन किया जाकर उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट तीन माह में वांछित की गई है। जो कि दिनांक 14.06.2019 के पूर्व सुनिश्चित किया जाना है व आपके विभाग को सीधे एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित भी

किया है, अन्यथा निर्देश अवमानना की स्थिति अन्य एन.जी.टी. के निर्देशों के परिपालन नहीं होने की स्थिति में न बने ।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय एन.जी.टी. नई–दिल्ली के प्रदेश स्थित अन्य प्रकरण में हाल ही में दिए गए निर्देश के परिपेक्ष्य में दिनांक 15.04.2019 को माननीय मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल व्दारा व्यक्तिगत् उपस्थिति दी गई थी , अतः इस प्रकार के माननीय एन.जी.टी. नई–दिल्ली के निर्देशों का निर्धारित समयावधि में कड़ाई से परिपालन हेतु उच्च स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, अतः अनुरोध है कि की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत् कराने का कष्ट करें,ताकि शासन को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके ।

संलग्न :– यथोपरि ।

(पी.के.त्रिवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम की ओर कृपया सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संबंधित को निर्देशित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेगें ।

2. सदस्य सचिव,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर कृपया आपके संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ एवं प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत आपको वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत् कराया जा सकेगा ।

Item No.08 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 790/2018

Resident of Banjali Niwasi Applicant(s)

Versus

State of Madhya Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 14.03.2019

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s):

For Respondent (s):

ORDER

The report from Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is that illegal mining at Ratlam has now stopped but there is no report that the restoration steps have been taken, as required.

Let the Mining Department take steps for rehabilitation and restitution of the area within 3 months and furnish an action taken report before the next date by email at ngt.filing@gmail.com.

The MPPCB will coordinate the action with the Mining Department and will be responsible to furnish the report as above.

List for consideration of the report on 17.7.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

March 14, 2019
Original Application No. 790/2018
AK

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

संलग्न-2

(32)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रतलाम (म0प्र0)

क्रमांक / 1967 / खनिज / 2018–19 रतलाम, दिनांक 21 / 01 / 2019

प्रति,

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17, भरतपुरी जिला–उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– रतलाम में शहर के पास बंजली में अवैध उत्खनन कर पर्यावरण को नुकसान पहुचाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली के निर्देश दिनॉक 12 / 12 / 2018

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2175 / प्रनिबो / क्षेकाउ / स्टेनो–1 / 2019 उज्जैन दिनॉक 17 / 01 / 2019

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्र0 / 790 / 2018 में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रतलाम में शहर के पास बंजली में अवैध उत्खनन के प्रकरण की जानकारी चाही गई है।

अतः तत्संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रतलाम में शहर के पास बंजली में अवैध उत्खनन संबंधी प्रकरण की जानकारी निरंक है। कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर जानकारी तैयार कर सादर संप्रेषित है।

Bhaune 21/1/19

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
वास्ते कलेक्टर, जिला रतलाम

CC-I

संलग्नक-2

(23)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रतलाम (म0प्र0)

क्रमांक / 1967 / खनिज / 2018–19 रतलाम, दिनांक 21 / 01 / 2019

प्रति,

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17, भरतपुरी जिला–उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– रतलाम में शहर के पास बंजली में अवैध उत्खनन कर पर्यावरण को नुकसान पहुचाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली के निर्देश दिनॉक 12 / 12 / 2018

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2175 / प्रनिबो / क्षेकाउ / स्टेनो–1 / 2019 उज्जैन दिनॉक 17 / 01 / 2019

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि माननीय एन.जी. टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्र0 / 790 / 2018 में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रतलाम में शहर के पास बंजली में अवैध उत्खनन के प्रकरण की जानकारी चाही गई है।

अतः तत्संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रतलाम में शहर के पास बंजली में अवैध उत्खनन संबंधी प्रकरण की जानकारी निरंक है। कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर जानकारी तैयार कर सादर संप्रेषित है।

Bhaune 21/1/19

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
वास्ते कलेक्टर, जिला रतलाम

CC-I

VIVEK DALAL
M.Sc.,L.L.B.,M.B.A.
Advocate

Office:
"DALAL CHAMBERS"
101,Sagar Matha Apartment
18/7,M.G.Road, INDORE-01
Phone(O) 0731-2529261,4044288
E-mail:dalaladvocate@hotmail.com

Date : 01.06.2019

To
The Collector (Mines)
Collectorate
RATLAM (M.P.)

Sub : Your Communication dated 25.04.2019

Dear Sir,

I write to you on behalf of and under the instructions of my client Shyam Sunder Rathore S/o. Shri Nandkishoreji Ratghore, Resident of Shahar Sarai, Ratlam (M.P.) as under:-

D.M.
4-6-19

1. That, my client was awarded Mining Lease for Khasra No. 136/1/1/1, Rakba 1.000 Hectare for a period of 10 years from 22.05.2008 to 21.05.2018.

2. That, it is not out of place to mention that my client have also been granted permission for establishing a Crushing Machine at Khasra No. 24, Rakba 0.500 Hectare.

3. That, my client have been regularly obeying the condition of the Lease Deed and no notice for any violation of any of the Lease condition have ever been issued to my client by you.

4. That, it appears that some resident of Banjle Niwasi Vs. State of M.P. has filed an OA No. 790/18 before the National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi and the Learned NGT has been pleased to pass the following Order:

> ***"Order dated 12.12.2018:***
>
> *Proceedings have been initiated in this matter on receipt of a letter alleging that illegal mining is taking place at Ratlam, Madhya Pradesh within the municipal limits of the city. 100 – 150 feet deep pits have been dug from which stones are mined and tansported without paying any royalty. Air pollution is created which is affecting the inhabitants. There are important institutions like medical college and other educational institutions in the area. The pollution is affecting the students also.*
>
> *Accordingly, we direct Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) to ascertain facts and take action as per law.*
>
> *The MPPCB may furnish a report to his Tribunal by e-mail at ngt.filing@gmail.com within one month from the date of receipt of copy of this Order.*

Order dated 14.03.2018:

The report from Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is that illegal mining at Ratlam has now stopped but there is no report that the restoration steps have been taken, as required.

Let the Mining Department take steps for rehabilitation and restitution of the area within 3 months and furnish an action taen report before the next date by email at ngt.filing@gmail.com.

The MPPCB will coordinate the action with the Mining Department and will be responsible to furnish the report as above."

5. That, the Order categorically states that some alleged illegal mining is taking place at Ratlam.It is humbly submitted that the Mining Lease (Khasra No 136/1/1/1) and Crushing Activity (Khasra No.24) is out side the Municipal limit of Ratlam and hence the complaint filed by Banjle Niwasi does not pertain to the aforesaid mining lease and permission to establish Crushing Machine.

6. That, my client is not engaged in illegal mining, as they are regularly paying the Royalty and Dead Rent and carrying out their business of mining in the area allotted to them.

7. That, in so far as the communication dated 18.04.2019 issued by the Regional Office, M.P.Pollution Control Board is concerned, it pertains to Khasra No. 24, Rakba 0.500 Hectare and is in no way connected to Khasra No. 136/1/1/1, Rakba 1.000 Hectare which is at a distance of Approx. 1 k.m. from the Khasra No. 24 where the Crusher Machine is situated and the residents of Banjle Niwasi are in no way affected by the mining operation being carried out in Khasra No. 136/1/1/1.

8. That, in so far as location of Crusher Machine in Khasra No.24 is concerned, the same has been ordered to remove on or before 30.11.2017 at the instance of you Noticee vide Order dated 29.11.2017 and the Petitioner has removed the machinery pursuant to the Order dated 30.11.2017 and has also filled the pit caused due to the said machinery.

9. That, my client has scrupulously followed the conditions of the mines and are not causing any environmental damage nor carrying out any illegal mining.

You are hereby called upon to recall your Notice dated 25.04.2019 and oblige.

Yours Sincerely,

Vivek Dalal

संलग्नक-5
(16)

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN
Phone -0734-2510984 FAX-0734-2510984
E-mail- rlmppcbujjain@gmail.com

R.NO 76/18

Name of Place : **Village Banjali Medical College, Sailana Road, Ratlam (M.P.)**

Date of Monitoring : 21-01-2019

Monitoring done by : Mr. Devendra Solanki, Chemist & Lab Staff

Reference : As per Regional Officer Instruction

AMBIENT AIR MONITORING

S.NO.	Characteristics	Unit	Roof of Mortuary Building, Medical College
1-	RSPM (PM_{10})	$\mu g/m^3$	86
2-	Sulphur Dioxide (SO_2)	$\mu g/m^3$	BDL
3-	Nitrogen Dioxide (NO_2)	$\mu g/m^3$	6.4

Remark : ☐ Parameter exceeding prescribed limit.
BDL=Below Detection Limit.

Chemist/Jr. Scientist   Scientist   Regional Officer

15

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN
Phone -0734-2510984 FAX-0734-2510984
E-mail- rlmppcbujjain@gmail.com

R.NO 77/18

Name of Place : **Biomedical Waste Management System,**
By-pass road, Village – Banjali , Ratlam (M.P.)

Date of Monitoring : 21-01-2019

Monitoring done by : Mr. Devendra Solanki, Chemist & Lab Staff

Reference : As per Regional Officer Instruction

AMBIENT AIR MONITORING

S.NO .	Characteristics	Unit	Result
1-	RSPM (PM_{10})	$\mu g/m^3$	76
2-	Sulphur Dioxide (SO_2)	$\mu g/m^3$	BDL
3-	Nitrogen Dioxide (NO_2)	$\mu g/m^3$	5.5

Remark : ☐ Parameter exceeding prescribed limit.
BDL=Below Detection Limit.

Chemist/Jr. Scientist **Scientist** **Regional Officer**

0:11
0:23